


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

नमस्कार एवं सभी सदस्यों को बधाये जीवाजी
विश्वविद्यालय में आप ही विषय विधि के
लिए अचूक और अविभिन्नी के रास हैं।
विश्वविद्यालय एवं इसके द्वारा दिए गए
उत्तर दुर्दानी से नहीं प्रभावित होते विद्यालय
के लिए जो विद्यार्थी उपरिके दर्जक हैं।



मोबाइल : 98951 2541896
फ़ोन : (0751) 2442529
फैक्टरी : (0751) 2541764

प्रेषक :

कुलसंघिय,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

दस्तावेज़/उम्मीदवाला/2012/ ८८५२

दिनांक : 15/01/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा जापानी ऑफ एज्यूकेशन, मुमर, ग्वालियर (0751-4036009) को
तार 2011-12 वर्ष 2012-13 के लिए प्रशासित संगठित बी.ए. पाठ्यक्रम कला-यात्रायाजी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा
विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवर्तन 27(10) के अन्वयन सिन्हामुसार विशेषण समिति का गठन किया गया है।-

- (1) प्रौ. विदेश कापड़, आवार्य, राजाकार्य एवं आजीवक विद्या अध्ययनशाला, जी.वि.सि., ग्वालियर। (वर्चोजक)
(0751-2442822)
- (2) डॉ. आटजी. बर्क, आवार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विभाग अध्ययनशाला, जी.वि.सि., ग्वालियर।
- (3) डी.ए. गोप्यानी, अधिकारी, ग्राहाविद्यालयीन विद्यालय परिषद, जी.वि.सि. ग्वालियर।

विदेशी समिति के सदस्यों के अनुयोग है कि हे परिवर्तन 27/28 के प्राक्षालों के अनुकूप महाविद्यालय का प्रताल
निरीक्षण कर थका, अवृद्धि राखी, बोरिल ऐक्षणिक/अवैक्षणिक रूपांतर, प्राप्तिकृत रखने में प्राप्त अनुमति/अनुमति प्राप्ति-प्राप्ति
मत्र, प्रिया गरिबद्द एवं पाठ्यक्रम आदि देशी तथा विदेशी सभी छात्रों की पूरी मत्र प्राप्ति पाप के तथा
प्राप्ति-संबंधित एवं असेक्षणिक रूपांतर की विश्विताओं का प्रकाण एवं वेतन जारी के बारे में स्पष्ट विवरण अनुसंधानी अकिञ्चन करें।

स्वार्थी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पर क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिखे गये विरोधाभ्यासार
विवेकाण उम्मीद द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का विशेषण कर 15 दिन से विश्वविद्यालय कावालिय ने विशेषण
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। जिसके के अन्वयन कार्यवाली (महाविद्यालय विशेषण की) 45 दिवस ने पूर्व हो साक्षी एवं
महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली सत्याकाश समझौता में विलम्ब वर्ती होगा एवं यह समय सम्बद्धता
संबंधी कार्यवाली पूर्व हो सकती तथा शासन के विरेशों का याल सुनिश्चित किया जा सकेगा।

जल्द के 45 दिन में Report प्राप्त एवं तोके की सिद्धि में वह माना जाएगा कि महाविद्यालय का विशेषण नहीं हुआ
है। जियमानुसार अन्दरूनी जमा करकर बरीज नमिति गरिब की जायेगी। जिसे 15 दिवस में विशेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करना
अवश्यक होगा। परिवेदन 27(1)(7) के अनुसार समझौता प्राप्त लिए विवा छात्रों द्वारा प्रोत्साहित कराया जाएगा।

विशेषण समिति के आवार्य उपकार्ता शास्त्रा ने कार्यात्मक अधीक्षक / कावालिय स्थायक प्रबाली लेकर जावेंगे तथा
महाविद्यालय की वस्तुतिका जीवाजी विश्वविद्यालय को जगत् करायेंगे। विशेषण समिति के सदस्यों को प्रौ. / डी.ए.
मान्देय महाविद्यालय द्वारा देंगे होगा।

कुलसंघिय

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सुवार्य एवं मान्देयक वार्तागाही हेतु।
2. प्राप्तावार्यात्मक, संविति महाविद्यालय की ओर गोजकर आगह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर
निरीक्षण दिवाकर विधायित कर महाविद्यालय का विशेषण कराये। उक्त विशेषण 15 दिवस के अन्वय कराने वाली
व्यवस्था करें।
3. आनुकूल उच्च सिंधा, रातपुत्र भवन, भोपाल
4. कुलपति के समिति, कुलसंघिय के लिये रातायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सामायक कुलसंघिय (सम्बद्धता)